केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी जी ओ कॉम्पलैक्स
लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली -19-01-2012

सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधि के कार्यान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में तीन मामले दर्ज किये तथा तलाशियां चल रही है

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधि के कार्यान्वयन में जारी प्रारम्भिक जांच के आधार पर तीन और मामले दर्ज किये हैं। सीबीआई ने इससे पहले दिनांक 15-11-2011 को माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में पाँच प्रांरभिक जांच दर्ज की थी।

उत्तर प्रदेश के छह शहरों अर्थात लखनऊ; मुरादाबाद; वाराणसी; मुजफ्फरनगर; कानपुर; नौएडा और दिल्ली में 44 स्थानों पर तलाशियां चल रही हैं।

पहला मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों; उ०प्र० प्रसंस्करण एवं विनिर्माण सहकारी फेडरेशन लि० के अधिकारियों और मुरादाबाद एवं गजरौला (उ०प्र०) स्थित तीन निजी फर्मों के निदेशको के बीच कथित आपराधिक षडयंत्र के संदर्भ में है। इस मामले में 89 करोड़ रुपये की लागत से 89 जिला स्तर के अस्पतालों के अपग्रेडेशन का ठेका प्रदान करने का आरोप है। सरकारी खजाने को अनुमानतः 25 लाख रुपये प्रति अस्पताल की हानि पहुचाई गई है। अभी तक किये गये भुगतान के आधार पर, 5.89 (लगभग) करोड़ रुपये की हानि हुई है।

दूसरा मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों; उ०प्र० परियोजना निगम लि० के अधिकारियों और गाजियाबाद, कानपुर एवं नौएडा (उ०प्र०) स्थित तीन निजी फर्मों के निदेशको तथ अन्य अज्ञात लोगो के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस मामले में जाली/फर्जी दस्तावेजों और/या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और यूपीपीसीएल के संबंधितों/कार्मिको को अवैध परितोषण देकर 40 जिला स्तर के अस्पतालों के अपग्रेडेशन का ठेका प्रदान करने से संबधित है। कथित तौर पर इस ठेके में 160 करोड़ रुपये की इस परियोजना में सरकारी खजाने को प्रति अस्पताल 25 लाख रुपये तक की अनुचित हानि पंहुचाई गई है। अभी तक किये गये भुगतान के आधार पर, 5.84 (लगभग) करोड़ रुपये की हानि हुई है।

तीसरा मामला उ०प्र० के विभिन्न अस्पतालो में संस्थापना एवं संबधित सिविल कार्यो एवं शौचालयों के नवीकरण के कार्य में हुई कथित अनियमितताओं से संबधित है। यह मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों; उ०प्र० लघु उद्योग निगम के अधिकारियों; कानपुर (उ०प्र०) स्थित तीन अन्य निजी फर्मो; तीन निजी व्यक्तियों एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस ठेके में, जो पूर्व-निर्धारित तरीके से अत्यधिक उंची कीमतों पर दिया गया था, आज के अनुमान के अनुसार सरकारी खजाने को कथित तौर पर 3.5 (लगभग) करोड़ रुपये की हानि पहुचाई गई है।

सीबीआई ने इससे पहले, एनएचआरएम निधि के कार्यान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 02-01-2012 को 05 मामले दर्ज किए थे।

आगे जांच जारी है।

****